

न्यायालय सहायक क्लर्क एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर  
पीठारीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर०ए०एस० )

वाद सं० : 474 सन 2022

अनवान :-

1. जयप्रकाश पुत्र स्व धनपतराम जाति जाट निवासी ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

बनाम

वादी

1. महावीर पुत्र स्व धनपतराम जाति जाट निवासी ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर।
2. निहालसिंह पुत्र स्व धनपतराम जाति जाट निवासी ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. मनरूपसिंह पुत्र स्व धनपतराम जाति जाट निवासी ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. किशनलाल पुत्र स्व धनपतराम जाति जाट निवासी ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. जगदीश प्रसाद पुत्र स्व धनपतराम जाति जाट निवासी ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. शान्ति पुत्री स्व धनपतराम जाति जाट निवासी ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर।
7. कीनी पुत्री स्व धनपतराम जाति जाट निवासी ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर।
8. परमेश्वरी पुत्री स्व धनपतराम जाति जाट निवासी ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. सुमित्रा पुत्री स्व धनपतराम जाति जाट निवासी ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपरिथत : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 04/07/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा ललानाबास नथवानिया के खाता संख्या 37/37 की कुल 3.0220 हैव भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में धनपतराम पुत्र चन्दुराम के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में धनपतराम पुत्र चन्दुराम के नाम से दर्ज है धनपतराम पुत्र चन्दुराम वादी का पिता है धनपतराम पुत्र चन्दुराम को देहान्त हो चुका है धनपतराम पुत्र चन्दुराम के जाजय वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 है जो धनपतराम पुत्र चन्दुराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने की अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 वादी की बहने है एवं धनपतराम पुत्र चन्दुराम की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की धनपतराम पुत्र चन्दुराम जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 बहिव के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

मुखण्ड अधिकारी  
नोहर

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में धनपतराम पुत्र चन्दुराम के नाम से दर्ज है धनपतराम पुत्र चन्दुराम वादी का पिता है धनपतराम पुत्र चन्दुराम को देहान्त हो चुका है धनपतराम पुत्र चन्दुराम के जाजय वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 है जो धनपतराम पुत्र चन्दुराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने की अधिकारी है। तथा प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 10 पेरोंकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निरस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ललानाबास नथवानिया के खाता संख्या 37/37 की कुल 3.0220 हैव भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में धनपतराम पुत्र चन्दुराम के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में धनपतराम पुत्र चन्दुराम के नाम से दर्ज है धनपतराम पुत्र चन्दुराम वादी का पिता है धनपतराम पुत्र चन्दुराम को देहान्त हो चुका है धनपतराम पुत्र चन्दुराम के जाजय वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 है जो धनपतराम पुत्र चन्दुराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने की अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 वादी की बहने है एवं धनपतराम पुत्र चन्दुराम की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.वी.जे. 1998 पेज 615 एवं आर.आर.डी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोंकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निरस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ललानाबास नथवानिया के खाता संख्या 37/37 की कुल 3.0220 हैव भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में धनपतराम पुत्र चन्दुराम के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में धनपतराम पुत्र चन्दुराम के नाम से दर्ज है धनपतराम पुत्र चन्दुराम वादी का पिता है धनपतराम पुत्र चन्दुराम को देहान्त हो चुका है धनपतराम पुत्र चन्दुराम के जाजय वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी

अधिवक्ता अधिकारी  
नाम

एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 है जो धनपतराम पुत्र चन्दुराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने की अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते हैं के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण काबिल डिक्ली है तथा प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के द्वारा स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण डिक्ली किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानावास नथवानिया के खाता संख्या 37/37 की कुल 3.0220 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में धनपतराम पुत्र चन्दुराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 बहिव के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्वा डिक्ली जारी की जाकर शामिल मिसाल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जावा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04/07/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. जयप्रकाश पुत्र स्व धनपतराम जाति जाट निवासी ललानाबासा श्योपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. महावीर पुत्र स्व धनपतराम जाति जाट निवासी ललानाबासा श्योपुरा तहसील नोहर
2. निहालसिंह पुत्र स्व धनपतराम जाति जाट निवासी ललानाबासा श्योपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. मनरूपसिंह पुत्र स्व धनपतराम जाति जाट निवासी ललानाबासा श्योपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. किशनलाल पुत्र स्व धनपतराम जाति जाट निवासी ललानाबासा श्योपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. जगदीश प्रसाद पुत्र स्व धनपतराम जाति जाट निवासी ललानाबासा श्योपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. शान्ति पुत्री स्व धनपतराम जाति जाट निवासी ललानाबासा श्योपुरा तहसील नोहर।
7. कीनी पुत्री स्व धनपतराम जाति जाट निवासी ललानाबासा श्योपुरा तहसील नोहर।
8. परमेश्वरी पुत्री स्व धनपतराम जाति जाट निवासी ललानाबासा श्योपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. सुमित्रा पुत्री स्व धनपतराम जाति जाट निवासी ललानाबासा श्योपुरा तहसील नोहर
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 474 सन 2022 निर्णय दिनांक-04/07/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबासा नथवानिया के खाता संख्या 37/37 की कुल 3.02220 हैक्ठु भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में धनपतराम पुत्र चन्दुराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 04/07/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर